



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं.-ओएचएसएमएस/एल- 5000221.1

Licence NO. OHSMS/L-5000221.1

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016(2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नाते, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूर्वी अंचल कार्यालय, 502 साउथेंड कानक्लेव, 6वीं मंजिल, 1582 राजडंगा मैन रोड, कोलकाता - 700107, पश्चिम बंगाल को मंजूरी देता है/पुनः प्रमाणन देता है (जिसे इसमें इसके पश्चात इसे अनुज्ञतिधारी कहा गया है) इस अनुसूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं के संबंध में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनुज्ञतिधारकों की ब्यूरो की सूची में अनुज्ञति के अनुसार इसी संख्या धारक को अधिकार एवं अनुज्ञति सूचीबद्ध किया जाए। आईएस/आईएसओ 18001:2007 के अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के अधीन उक्त किए गये पते पर केवल अनुज्ञतिधारक धारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/उपलब्ध कराया/चलाया जायेगा।

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/recertifies to Central Pollution Control Board, Eastern Zonal Office, 502 Southend Conclave, 6th Floor, 1582 Rajdanga Main Road, Kolkata - 700107, West Bengal (hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of Licensee of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Occupational Health & Safety Management Systems in accordance with IS/ISO 18001 : 2007.

अनुज्ञति उक्त अधिनियम और उनके अधीन नियमों तथा विनियमों के संबंधित उपबंधों की शर्त पर मंजूर किया गया है/पुनः प्रमाणन दिया गया है तथा उक्त संदर्भित अनुज्ञतियों को इसके तहत शासित किया जाता है, तथा अनुज्ञतिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किए जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है।

The licence is granted/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations यह अनुज्ञति तारीख 26 नवम्बर 2018 से तारीख 11 अक्टूबर 2021 तक विधिमान्य रहेगा और विनियमों में यथाविहित पुनः प्रमाणन किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 26 November 2018 to 11 October 2021 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2018 के दिसम्बर माह के 6th
Signed, Sealed and Dated this

दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित
December, Two Thousand and Eighteen.

उप महानिदेशक

Deputy Director General

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

के सी एस बिष्ट / K C S BISHT

उपमहानिदेशक (पु) / Deputy Director General (E)

भारतीय मानक ब्यूरो / BUREAU OF INDIAN STANDARDS

1/14, सी.आई.टी. स्कीम VII एम/1/14, C.I.T. SCHEME VII M

कोलकाता-700 054/KOLKATA-700 054

